राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seacca@gmail.com

विषयः– राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 24/07/2021 को संपन्न 381वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: औद्योगिक परियोजनाओं एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस (पार्टनर– श्री निर्मल अग्रवाल), प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1489)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 186594/2020, दिनांक 09/12/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 214605/2020, दिनांक 10/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता – 39,000 टन प्रतिवर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रु हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रु बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल) के पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/03/2021 द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रु हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रु बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल अग्रवाल, पार्टनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पैराग्राफ क्रमांक 8, 9 (पेज नम्बर 5), पैराग्राफ क्रमांक 3 (पेज नम्बर 11) एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पैराग्राफ क्रमांक V(ii) (पेज नम्बर 14) तथा पैराग्राफ क्रमांक VI(i) (पेज नम्बर 14) में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है। जो निम्नानुसार है:–

ई.सी. का संदर्भ (1)	ई.सी. आदेश में विवरण (2)	ई.सी. में वांछित संशोधन (3)
ई.सी. पेज नम्बर–5' पैराग्राफ क्रमांक–8	यह क्षमता विस्तार दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार के प्रथम चरण के अंतर्गत वर्तमान में स्थापित इंडक्शन फर्नेस को डिसमेंटल किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पूर्व से स्थापित रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में कार्य घंटे में वृद्धि कर (1 शिफ्ट से 3 शिफ्ट कर) एवं वार्षिक कार्य दिवस 300 से 330 दिन करते हुए क्षमता 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष किया जाएगा।	यह क्षमता विस्तार दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार के प्रथम चरण के अंतर्गत वर्तमान में स्थापित इंडक्शन फर्नेस को डिसमेंटल किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पूर्व से स्थापित रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से **वर्तमान में कार्यरत रोलिंग मिल की उत्पादन क्षमता यथावत् रखकर 21,000 टन प्रतिवर्ष रखी जाएगी। जिसका संचालन एक पाली में किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त 36,800 मी.टन क्षमता की एक नई रोलिंग मिल लगाकर इसके संचालन हेतु री–हीटिंग फर्नेस से माल गरम कर के दूसरी–तीसरी पाली में किया जाएगा। इस प्रकार री–रोल्ड स्टील उत्पादन 57,800 टन प्रतिवर्ष किया जाएगा।** **तदानुसार नई रोलिंग मिल का संचालन वर्तमान स्थापित बिलेट री–हीटिंग फर्नेस से ही दूसरी एवं तीसरी पाली में किया जाएगा।**
	अतिरिक्त रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं की जाएगी और न ही स्थापित रि–हीटिंग फर्नेस की क्षमता में वृद्धि की जावेगी। उक्त क्षमता के संचालन के पूर्व वर्तमान में स्थापित वेट स्क्रबर की दक्षता का उन्नयन कर पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्थापित रि–हीटिंग फर्नेस का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रति टन रि–रोल्ड	अतिरिक्त रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं की जाएगी। उक्त क्षमता के संचालन के पूर्व वर्तमान में स्थापित वेट स्क्रबर की दक्षता का उन्नयन कर पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्थापित री–हीटिंग फर्नेस के ऊर्जा दक्षता का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रति टन रि–रोल्ड

	प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा 160 किलोग्राम से घटकर 120 किलोग्राम होगी। जिस हेतु निम्नानुसार उन्नयन कार्य प्रस्तावित है:–	प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा 160 किलोग्राम से घटकर 120 किलोग्राम होगी। जिस हेतु निम्नानुसार उन्नयन कार्य प्रस्तावित है:–
ई.सी. पेज नम्बर–5' पैराग्राफ क्रमांक–9	क्षमता विस्तार के द्वितीय चरण में दो वर्ष के भीतर इण्डक्शन फर्नेस (6 टन गुणा 4 नग) क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष के स्थापना का कार्य पूर्ण कर हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 36,800 टन प्रतिवर्ष की स्थापना की जाएगी। तदोपरांत पूर्व से स्थापित री–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल की क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष रखी जाएगी। फलस्वरूप द्वितीय चरण के उपरांत प्रतिदिन कोयले की खपत में कमी होगी।	क्षमता विस्तार के द्वितीय चरण में दो वर्ष के भीतर इंडक्शन फर्नेस (6 टन X 4 नग) क्षमता 38,640 टन प्रतिवर्ष **माईल्ड स्टील बिलेट (हॉट मेटल)** उत्पादन के स्थापना का कार्य पूर्ण कर **इस हॉट मेटल को हॉट चार्जिंग के द्वारा प्रथम चरण में स्थापित नई (दूसरी) रोलिंग मिल के द्वारा 36,800 टन रि–रोल्ड प्रोडक्ट प्रतिवर्ष बनाया जाएगा।** तदोपरांत पूर्व से स्थापित री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल की क्षमता 21,000 टन प्रतिवर्ष ही रहेगी। **फलस्वरूप द्वितीय चरण के उपरांत 36,800 टन री–रोल्ड स्टील को री–हीटिंग फर्नेस में गर्म नहीं करने कारण प्रतिदिन** कोयले की खपत में कमी होगी। **द्वितीय चरण के उपरांत रि–रोल्ड स्टील उत्पादन की कुल क्षमता 57,800 टन प्रतिवर्ष ही होगी, जिसमें से 21,000 टन प्रतिवर्ष बिलेट री–हिटींग फर्नेस से तथा 36,800 टन प्रतिवर्ष डायरेक्ट हॉट चार्जिंग से उत्पादन किया जाएगा।**
ई.सी. पेज नम्बर–11' पैराग्राफ–3 प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार	उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/02/2021 को संपन्न 106वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया	उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/02/2021 को सम्पन्न 106वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए

	हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रु हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रु बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। तदानुसार हैवी इण्डस्ट्रियल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत् क्षमता विस्तार के तहत री–हीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्टस क्षमता 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्टस क्षमता 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रू हाट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रू बिलेट्स रिहीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।	हैवी इण्डस्ट्रियल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत री–हीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराइज्ड कोल आधारित रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता 21,000 टन प्रतिवर्ष **के अतिरिक्त 36,800 मी.टन क्षमता का एक नई रोलिंग मिल होगी, जिससे रि–रोल्ड स्टील बनाया जाएगा। इस प्रकार प्रथम चरण में बिलेट री–हीटिंग फर्नेस आधारित कुल 57,800 टन प्रतिवर्ष रि–रोल्ड स्टील उत्पादन होगा। प्रथम चरण में इण्डक्शन फर्नेस का उत्पादन शून्य होगा** तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट क्षमता 57,800 टन प्रतिवर्ष होगी **(जिसमें से** 36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रू हाट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रू बिलेट्स री–हीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। तदानुसार हैवी इण्डस्ट्रियल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् री–हीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता 21,000 टन प्रतिवर्ष **के अतिरिक्त 36,800 मी.टन क्षमता की एक नई रोलिंग**

		मिल लगाकर कुल 57,800 टन प्रतिवर्ष, तदुपरांत द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रू हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रू बिलेट्स रि–हीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरण स्वीकृति निम्ननिलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।
EC Page No. 14 Para-V, ii	ii. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). In first Phase the capacity of Rolling Mill shall be increased only by increasing the number of working shifts (i.e. 1 to 3 shift) and working days (i.e. 300 to 330 days). No additional reheating furnace(s) shall be installed. The project proponent shall use pulverised coal in the existing reheating furnaces of rerolling mill. The project proponent shall dismantle the already installed Induction furnace(s) as per proposal submitted.	ii. Ensure installation of **High efficiency Pulverized fuel burners along with waste heat recuperators** in reheating furnace. in first Phase the capacity of Rolling Mill shall be increased by **implementation of an additional new rolling mill and by** increasing the number of working shifts (i.e. 1 to 3 shift) and working days (i.e. 300 to 330 days) **in existing Billet Reheating Furnace, along with improvement in fuel energy efficiency**. No additional reheating furnace(s) shall be installed. The project proponent shall use pulverised coal in the existing reheating furnaces of rerolling mill. The project proponent shall dismantle the already installed induction furnace(s) as per proposal submitted **before starting the new additional rolling mill of 36800 TPA.**
EC Page No. 14 Para-VI, i	**VI. Waste Management** i. The capacity expansion shall be achieved by increasing number of heats per day and number of working days only. No new induction furnace(s) and rolling mill shall be installed.	**(Point i. needs to be deleted.)**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित प्रस्ताव एवं प्रस्तुतीकरण में दिये गये तथ्यों तथा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की तथ्यों में भिन्नता होने के कारण जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

2. परियोजना के कार्यकलापों एवं प्रस्तावों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/03/2021 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्तों के संशोधन / विलोपन किये जाने की अनुशंसा की गई:-

1. बिन्दु क्रमांक 1 में कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित संशोधन को मान्य किया गया।

2. निम्न शर्त का संशोधन किया जाए:-

"शर्त क्रमांक V(ii) Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). In first Phase the capacity of Rolling Mill shall be increased only by increasing the number of working shifts (i.e. 1 to 3 shift) and working days (i.e. 300 to 330 days). No additional reheating furnace(s) shall be installed. The project proponent shall use pulverised coal in the existing reheating furnaces of rerolling mill. The project proponent shall dismantle the already installed Induction furnace(s) as per proposal submitted."

के स्थान पर

"शर्त क्रमांक V(ii) Ensure installation of high efficiency pulverized fuel burners along with waste heat recuperators in existing reheating furnace. In first phase the capacity of Rolling Mill shall be increased by implementation of an additional new rolling mill and by increasing the number of working shifts (i.e. 1 to 3 shift) and working days (i.e. 300 to 330 days) in existing Billet Reheating Furnace, along with improvement in fuel energy efficiency. No additional reheating furnace shall be installed. The project proponent shall use pulverised coal in the existing reheating furnace of rolling mill. The project proponent shall dismantle the already installed induction furnace as per proposal submitted before starting the new additional rolling mill of 36800 TPA.

In the second phase, industry shall install induction furnaces (6 Tonne X 4 Nos.) to produce total hot metal (hot billets) 38,640 TPA and this hot metal shall be used in new rolling mill installed during first phase to produce rolled products of capacity 36,800 TPA through hot charging process. Hence, after implementation of second phase, industry shall produce rolled product of capacity 21,000 TPA through billet reheating furnace and rolled products of capacity 36,800 TPA through hot charging process. Total production of rolled products shall not be more than 57,800 TPA."

3. शर्त क्रमांक VI(i) "The capacity expansion shall be achieved by increasing number of heats per day and number of working days only. No new induction furnace(s) and rolling mill shall be installed." **का विलोपन** किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स श्री विपुल अग्रवाल (राजपुर डोलोमाईट क्वारी), ग्राम–राजपुर, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1701)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 214525/2021, दिनांक 10/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–राजपुर, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 178/2, 178/3 एवं 179, कुल क्षेत्रफल–1.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 4,200 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपुल अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत राजपुर का दिनांक 04/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2089/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(2) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/04/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 278/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 02/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 278/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 02/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3788/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 16/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 178/2 श्री नारायण एवं श्री रोशन, खसरा क्रमांक 178/3 श्री जागेश्वर एवं खसरा क्रमांक 179 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4877 दुर्ग, दिनांक 11/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 25 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–राजपुर 1.2 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–राजपुर 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,28,275 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,02,300 टन एवं रिकव्हरेबल 92,070 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,420 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 12,878.4 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 24.35 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,200
द्वितीय	4,200
तृतीय	4,200
चतुर्थ	4,200
पंचम	4,200

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	4,200
सप्तम	4,200
अष्टम	4,200
नवम	4,200
दशम	4,200

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घननीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,420 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 2,320 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई एवं 596 वर्गमीटर क्षेत्र 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दक्षिण–पूर्व दिशा में लीज क्षेत्र की चौड़ाई कम होने के कारण 3,812 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान के लेण्ड यूज पैटर्न में खनन हेतु माईनिंग क्षेत्र 7,200 वर्गमीटर का उल्लेख है। जबकि कुल लीज क्षेत्र 1.36 हेक्टेयर में से 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 4,420 वर्गमीटर एवं गैर माईनिंग क्षेत्र 3,812 वर्गमीटर को कम किये जाने पर माईनिंग क्षेत्र 5,368 वर्गमीटर शेष होगा। अतः उपरोक्तानुसार संशोधन कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

40	2%	0.80	Following activities at Nearby Government Primary, Middle & Higher Secondary schools, **Village-Rajpur**	
			Rain Water Harvesting System & Plantation with fencing	0.80
			Total	**0.80**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उपरोक्त में दिये गये विवरण अनुसार पूर्व से उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव कर एवं लेण्ड यूज पैटर्न में संशोधन कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री जितेन्द्र चंद्राकर (कंदई डोलोमाईट माईन), ग्राम–कंदई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1702)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 214520 / 2021, दिनांक 11 / 06 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कंदई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 307, 308 एवं 310, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24 / 07 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र चंद्राकर, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कंदई का दिनांक 29 / 11 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन

क्रमांक 2326/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(1) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 251/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.293 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 251/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 4103/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 12/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4818 दुर्ग, दिनांक 19/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कंदई 1.2 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–कंदई 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। तालाब 0.7 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,50,000 टन, माईनेबल रिजर्व 85,646 टन एवं रिकव्हरेबल 77,262 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,961 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,624 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 29 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,000
द्वितीय	3,000
तृतीय	3,000
चतुर्थ	3,000
पंचम	3,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	3,000
सप्तम	3,000
अष्टम	3,000
नवम	3,000
दशम	2,951

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के मध्य भाग में चौड़ाई कम होने के कारण 162 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby Government Primary school, Village-Kandai	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with	0.10

			fencing	
			Total	**0.70**

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 251/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.293 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कंदई) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कंदई) को मिलाकर कुल रकबा 4.293 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री जितेन्द्र चंद्राकर (कंदई डोलोमाईट माईन) की ग्राम–कंदई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 307, 308 एवं 310 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता – 3,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स देवरी ब्रिक (अर्थ क्ले) माईन (प्रो.– श्री रमेश कुमार साहू), ग्राम – देवरी, तहसील – बलौदाबाजार, जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1703)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 214523/2021, दिनांक 11/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–देवरी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 1866/1 एवं 1877, कुल क्षेत्रफल–2.108 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार साहू, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि त्रुटिवश फार्म–2 में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख हो गया है। अतः आवेदित प्रकरण पर प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 20,00,000 नग) प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने के लिए अनुरोध किया गया।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवरी का दिनांक 21/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.) जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2367/2/खनि/मिट्टी/उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 3638/खनि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 06/खनि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 01/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 3731/खनिज/उ.प./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 10/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
8. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री लक्ष्मेन्द्र के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवरी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–देवरी 2 कि.मी. एवं अस्पताल बलौदाबाजार 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी., तांदुला एवं शिवनाथ नदी 5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 42,160 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 33,593 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 693 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौडाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 2,105 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाएगा, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 16.79 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,000
द्वितीय	2,000
तृतीय	2,000
चतुर्थ	2,000
पंचम	2,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	2,000
सप्तम	2,000
अष्टम	2,000
नवम	2,000
दशम	2,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर रॉ–मेटेरियल स्टॉक यार्ड एवं ऑफिस के निर्माण

हेतु 1,142 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Government Primary & Middle Schools, **Village-Devari**	
			Rain Water Harvesting System	0.75
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation with Fencing	0.10
			Total	**1.00**

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 3638/खनि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–देवरी) का रकबा 2.108 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स देवरी ब्रिक (अर्थ क्ले) माईन (प्रो.– श्री रमेश कुमार साहू) की ग्राम–देवरी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 866/1 एवं 1877 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–2.108 हेक्टेयर, क्षमता – 2,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 20,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स श्री घुरन मरावी (परसवारकला सेण्ड क्वारी), ग्राम–परसवारकला, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1705)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 215024/2021, दिनांक 12/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–परसवारकला, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 726, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महान नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 96,876.76 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रहमानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उनके द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि तकनीकी समस्या होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 30/07/2021 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स एग्रोडेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–देवपुरा, तहसील–पण्डरिया, जिला–कवर्धा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1706)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 63764/2021, दिनांक 12/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–देवपुरा, तहसील–पण्डरिया, जिला–कवर्धा स्थित कुल क्षेत्रफल – 11.74 हेक्टेयर (29 एकड़) में मोलासेस बेस्ड/ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी प्लांट क्षमता – 60 किलोलीटर प्रतिदिन एवं को–जनरेशन पॉवर प्लांट क्षमता – 2 मेगावॉट के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग रुपए 150 करोड होगा।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 23/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना एस.ओ. 2339(ई), दिनांक 16/06/2021 के अनुसार यह परियोजजना सेड्यूल 5(जी ए) के अंतर्गत आता है। अतः इस नवीन ई.आई.ए. अधिसूचना के आधार पर संशोधित आवेदन किये जाने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1707)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63791/2021, दिनांक 16/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 1806 एवं 1807, कुल क्षेत्रफल–0.3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,952.425 टन (780.97 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि खदान की वर्तमान में आयु मात्र 2 वर्ष तक होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1708)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 83788/2021, दिनांक 16/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 1885, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,447.5 टन (579 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1885, कुल क्षेत्रफल – 0.45 हेक्टेयर, क्षमता – 579 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में क्षमता संबंधी विसंगतियों के परिपेक्ष्य में निम्न तथ्य परिलक्षित हो रहे है:–
      - प्रस्तुत क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रोमेंट मेनेजमेंट प्लान खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1926/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 01/10/2016 द्वारा अनुमोदित है, जिसमें उत्खनन क्षमता – 1,447.5 टन (579 घनमीटर) प्रतिवर्ष का उल्लेख है।
      - जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के विषय एवं कार्यवाही विवरण/निर्णय में आवेदित उत्खनन क्षमता – 579 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख है।

- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 3 में "खदान से गौण खनिज फर्शी पत्थर का अधिकतम उत्खनन 559.5 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।" का उल्लेख है।
- उपरोक्त के संदर्भ में समिति टंकन त्रुटि प्रतीत होना मानते हुये आवेदित उत्खनन क्षमता – 579 घनमीटर प्रतिवर्ष को मान्य कर प्रकरण पर विचार किया गया।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 14/06/2021 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	निरंक
2018	474
2019	991
2020	545

vi. वर्ष, 2019 में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्खनन करने के कारण प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो अपठनीय है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1926/क/ख.नि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 01/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 839/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 14/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.48 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 839/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्रीमती सीमा चतुर्वेदी के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/07/2009 से 30/06/2019 तक थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी के नाम पर किया गया है। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 01/07/2019 से 30/06/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री देवेन्द्र, कुमारी करिश्मा, कुमारी अंजना (पालक – श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी) के नाम पर है। चूंकि श्री देवेन्द्र, कुमारी करिश्मा, कुमारी अंजना नाबालिग है तथा सबके पालक आवेदक है अतः उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–अछोली 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है। महानदी 2.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 80,040 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 18,430 टन एवं रिकव्हरेबल 13,822 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,827 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,200
द्वितीय	1,237
तृतीय	1,275
चतुर्थ	1,369
पंचम	1,399

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	1,406
सप्तम	1,425
अष्टम	1,432
नवम	1,436
दशम	1,448

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 348 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग में 100 नग पौधे रोपित किये गये है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में से 700 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि माईनिंग प्लान में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 1,827 वर्गमीटर होना बताया गया है, जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 1,390 वर्गमीटर है। उपरोक्त विसंगतियों के परिपेक्ष्य में स्पष्टीकरण लिया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

18. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति के 25वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–1 सेक्टर) दिनांक 25 से 27 नवम्बर, 2020 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके प्रकरण क्रमांक 25.2 में मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, कलिंगानगर इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, दुबुरी, जिला–जाजपुर (ओडिशा) के ऑनलाईन आवेदन क्रमांक आईए/ओआर/आईएनडी/128148/2016 दिनांक 21/09/2016 पर विशेषज्ञ अकंन समिति द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया:–

"25.2.4 Based on the EAC recommendations, the file was processed wherein the Competent Authority of MoEF&CC observed that the instant case is beyond the applicability of S.O. 804 (e) dated 14/03/2017 and directed to adopt the following principle in all cases where violation is suspected or alleged.

i. Send the matter to the Sector EAC for consideration of the case on merit.
ii. Take action against the alleged violation as per law.
iii. Do not wait for either the evidence of action having been started or violation proceedings to finish before taking up the case on merit.
iv. The EC if given after consideration on merit would be valid from the date it is given and not with retrospective effect. For the period before it, if violation is established by the court or the competent authority, the punishment/penalty as per law would be imposed."

साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति के 10वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–3) दिनांक 18 से 19 मई, 2021 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके एजेण्डा क्रमांक 10.1 में मेसर्स संस्कार केमिकल्स एण्ड ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–अम्मूर, ग्राम–थैट्टीथंगल, तहसील–वालाजाह, जिला–वेल्लोर (रानीपेट), तमिलनाडु पर विचार कर निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया:–

"The Member Secretary informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry, in a related case (of M/s Tata Steel Limited, Odisha, F. No. J-11011/7/2006-IA-II(I)), has observed and directed that the case is beyond the applicability of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and should be considered by EAC as normal project. He also informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry has also directed to follow the procedure adopted in the case of M/s Electrosteel Ltd (F.No.L-11011/188/2017-IA.II(I)(Pt)) for consideration of such cases. It was also directed in the F. No. 2/8/2021-IA.III, to consider such cases of violation for grant of ToR/EC, if there is no specific stay by the Hon'ble Courts on consideration of such projects."

19. उपरोक्त उल्लंघन के प्रकरणों पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति द्वारा विचार करते हुए निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य स्तर विशेषज्ञ अकंन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा इस प्रकरण पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 843/क/खनि/म.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 15/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.36 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 0.57 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 22.93 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित की जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है:–

> "The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

5. विचाराधीन खदान उल्लंघन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल

माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

v. Project proponent shall submit the readable copy of Gram Panchayat NOC (with date) for mining purpose.

vi. Project proponent shall submit the copy of lease deed extension and lease transfer.

vii. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.

viii. Project proponent shall submit previous year production details (in financial year) from mining department.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

xi. Project proponent shall clarify the non mining area of 7.5 meter.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

xiii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

xiv. Project proponent shall do the fencing of the mine boundry with RCC pillars and barbed wire. We shall complete restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery where previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and

Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

xvi. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation. EMP should include all the mines under the cluster.

xvii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xviii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xix. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xx. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xxi. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कोमन लाल साहू), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1709)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63920 / 2021, दिनांक 16 / 06 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 84 / 1, 2, 3, 4, 85 एवं 89 / 2, कुल क्षेत्रफल–0.57 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,140 टन (456 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कोमन लाल साहू, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व मे फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 84/1, 2, 3, 4, 85 एवं 89/2, कुल क्षेत्रफल – 0.57 हेक्टेयर, क्षमता – 456 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 09/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 08/05/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/06/2021 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018	निरंक
2019	146
2020	280

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध मे ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 02/09/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./तीन–6/2017/3793 रायपुर, दिनांक 22/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 843/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 15/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.36 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य

सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 843/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 15/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज श्री कोमन लाल साहू के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/09/2017 से 11/09/2047 तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–अछोली 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है। महानदी 0.85 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 85,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 10,380 टन एवं रिकव्हरेबल 7,785 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,500 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	705
द्वितीय	877
तृतीय	979
चतुर्थ	1,054
पंचम	1,140

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	705

सप्तम	720
अष्टम	776
नवम	810
दशम	739

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में 1,070 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं लीज एरिया में 200 नग पौधे रोपित किये गये है।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,500 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 600 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सड़क की तरफ 728 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 843/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 15/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.36 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 0.57 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 22.93 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–
   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
   iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.
   iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.
   v. Project proponent shall submit the copy of lease deed.
   vi. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.
   vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
   viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

ix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

x. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

xi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has be done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री नीरज गंगवाल लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–गोजी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1710)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 215540 / 2021, दिनांक 17 / 06 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोजी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1118 / 1 एवं 1118 / 2, कुल क्षेत्रफल–1.37 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 29,723.18 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24 / 07 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देवेन्द्र चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोजी का दिनांक 03 / 12 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उ.ब.

कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 160/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 728/खनिज/ख.लि./2021 धमतरी, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11.64 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस माइनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 725/खनिज/उ.प./2021 धमतरी, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/561/खनिज/पत्थर/उत्ख.पट्टा/2020–21 धमतरी, दिनांक 25/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1118/1 श्री डोमन राम एवं खसरा क्रमांक 1118/2 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./जी/1178 धमतरी, दिनांक 03/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 30 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोजी 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–गोजी 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। महानदी 2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,16,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 2,10,624 टन एवं रिकवरेबल लगभग 1,89,561 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,977.34 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,176
द्वितीय	27,029
तृतीय	28,159
चतुर्थ	27,469
पंचम	22,832

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	29,723
सप्तम	23,953
अष्टम	9,980
नवम	8,739
दशम	7,564

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में 1,250 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के कुछ भाग की चौड़ाई कम होने के कारण लगभग 191 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. लीज क्षेत्र के उत्तरी दिशा के कुछ क्षेत्र में 37 मीटर की चौड़ाई होना बताया गया। समिति का मत है कि उक्त क्षेत्र के दोनों तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई छोड़े जाने पर 22 मीटर की चौड़ाई शेष होगी जिसमें में 6 मीटर की गहराई तक ही उत्खनन कार्य किया जा सकेगा। अतः उक्त के संबंध में संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 728/खनिज/ख.लि./2021 धमतरी, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11.64 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोजी) का रकबा 1.37 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोजी) को मिलाकर कुल रकबा 13.01 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   v. Project proponent shall submit the revised approved mining plan as mentioned above.

   vi. Project proponent shall submit NOC from CGWA for usage of water.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

ix. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

x. Project proponent shall complete the plantation of 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स बंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार अग्रवाल), ग्राम–बंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 939)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40712/2019, दिनांक 06/08/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/40712/2019, दिनांक 10/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा खसरा क्रमांक 25/119, 25/120 एवं 25/28, कुल क्षेत्रफल – 1.235 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 19,629 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/02/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चंगोरी का दिनांक 20/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 662/खनिज/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 10/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1046/खनिज/खलि.1/ख.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 11/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, क्षेत्रफल 15.771 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त 4 खदानें, क्षेत्रफल 4.246 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 981/खनिज/ख. लि.3/ई–टेण्डर/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 29/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 5239/खनि02/उ.प. –अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि अर्थात् 18/03/2020 तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 32/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 25/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा) सरगुजा के पत्र दिनांक 20/03/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल, निवासी अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत् उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला सरगुजा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 25/119 श्री प्रदीप, श्री अशोक, श्री सुरेश, श्री सुरेन्द्र, सुश्री प्रमीला, सुश्री प्रतिमा एवं खसरा क्रमांक 25/120 खसरा क्रमांक श्री सुशील तथा खसरा क्रमांक 25/28 सुश्री अलबिना के नाम से है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4587 अम्बिकापुर, दिनांक 29/08/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 5 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धंगोरी 0.6 कि.मी. एवं राजपुर 10 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–धंगोरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 10.3 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.1 कि.मी. दूर है। गागर नदी 0.44 कि.मी., मौसमी नाला 0.63 कि.मी. एवं तालाब 0.3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,32,937 टन, माईनेबल रिजर्व 2,07,326 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,86,593 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 4,127 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,111.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,660 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	18,675	छटवें	17,887
द्वितीय	18,000	सातवें	18,731
तृतीय	18,354	आठवें	19,264
चतुर्थ	18,765	नौवें	19,629
पंचम	18,360	दसवें	18,927

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 870 नग एवं खदान के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ मे अतिरिक्त 360 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 दिसम्बर, 2019 से 15 मार्च, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 6 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 16.8 से 38 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 56.4 से 69.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 4.31 से 9.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{\text{एक्स}}$ 12.4 से 20.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

    iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 43.6 डीबीए से 49.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 36.5 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 09/04/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – पंचायत भवन, चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 09/06/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. वाहनो के परिवहन से प्रदूषण होगा इस हेतु जल छिड़काव किया जाना चाहिए।

    ii. स्कूलो में जल की व्यवस्था नहीं है।

    iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

ii. सी.ई.आर. के तहत् स्कूलों में पेयजल एवं शौचालय हेतु जल व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 22 खदानें आती है। वर्तमान में 4 खदान को एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है एवं 2 खदानों की लीज की अवधि समाप्त हो गई है। शेष 16 खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि ली जा रहीं है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित खदान द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 5.55 कि.मी. ग्रामीण सड़कों एवं 4.45 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 4,95,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (5.55 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कतार में (3,700 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 16,57,520/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में अनुमानित राशि 3,08,000/– प्रतिवर्ष, चतुर्थ वर्ष में अनुमानित राशि 2,89,500/– तथा पंचम वर्ष में अनुमानित राशि 1,80,000/– व्यय की जाएगी।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4.45 कि.मी. तक) के संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

VI. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 75,18,020/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 26,12,520/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 12,63,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 12,44,500/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्फ्रायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 11,35,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्फ्रायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 8,55,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 0.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. खदान के माईन बाउण्ड्री में (870 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 3,13,492/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में अनुमानित राशि 2,03,850/– प्रतिवर्ष, चतुर्थ वर्ष में अनुमानित राशि 1,99,500/– तथा पंचम वर्ष में अनुमानित राशि 90,000/– व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 40,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (0.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. खदान के श्रमिकों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु अनुमानित राशि 60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

VI. माईन गेट हेतु अनुमानित राशि 15,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

VII. कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 27,25,692/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 6,68,492/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्फ्रायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), खदान के श्रमिकों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 5,43,850/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्फ्रायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), खदान के

श्रमिकों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 5,39,500/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), खदान के श्रमिकों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 4,30,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 2,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.5	2%	0.79	Following activities at Government Middle School, Village-Changori	
			Rain Water Harvesting System	1.32
			Potable Drinking Water Facility with 5 years AMC	0.20

			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation with fencing	0.15
			Total	**1.87**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु समस्त खदानों का सहमति पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स आर.आर. इस्पात (ए युनिट ऑफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड), ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 732)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 28324/ 2018, दिनांक 19/07/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/28324/2018, दिनांक 16/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 490/1, 237/3, 237/6, 476/2, 483, 484, 485,(पार्ट), 486, 490/2, (पार्ट), 487, (पार्ट), 488, 489/2, (पार्ट), 474(पार्ट), 489, 490/2 489/1, 488, 497, 485, 486, 490/2, (पार्ट), 496 (पार्ट), 239/1, 239/2, 240, 241, 236/1, 236/2, 327/1, 327/2, 327/2, 327/3, 328/1, 328/2, 330/1, 330/2, 271/6, 324/1 एवं 271/5, कुल क्षेत्रफल – 5.348 हेक्टेयर में रोलिंग मिल क्षमता–2,14,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3,00,000 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित 1,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं री–हीटिंग आधारित 2,00,000 टन प्रतिवर्ष) करने एवं backward integration के तहत् स्टील मेल्टिंग शॉप विथ एल.आर.एफ. क्षमता–2,45,000 टन प्रतिवर्ष (15 टन गुणा 06 नग) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार एवं backward integration के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपए 48.5 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/02/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मैसर्स पाल्युशन एण्ड इकोलॉजी कंट्रोल सर्विसेस, नागपुर की ओर से डॉ. शिल्पा अलग विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जारी पर्यावरणीय स्वीकृति –**

   - पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 834, दिनांक 19/01/2018 द्वारा रोलिंग मिल क्षमता–1,00,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,14,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

   - जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में त्रुटिवश 5.348 हेक्टेयर के स्थान पर 7.899 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया था। वर्तमान में स्थापित इकाई का क्षेत्र 5.348 हेक्टेयर है।

3. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रोलिंग मिल 2,14,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 11/06/2018 को जारी की गई है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–उरला 1 कि.मी. एवं रायपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–उरला 0.5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन रायपुर 10 कि.मी. एवं पाठक अस्पताल 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 3 कि.मी. एवं छोकरा नाला 3.5 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि. मी. है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 5.348 हेक्टेयर है, जिसमें से स्थापित रोलिंग मिल का क्षेत्रफल 0.831 हेक्टेयर, प्रस्तावित स्टील मेल्टिंग शॉप का क्षेत्रफल 0.647 हेक्टेयर, कुलिंग एवं स्टॉक यार्ड क्षेत्रफल 1.416 हेक्टेयर, रोड/पेव्ड का क्षेत्रफल 0.826 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित

क्षेत्रफल 1.628 हेक्टेयर (लगभग 30 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

6. **भू–स्वामित्व** – प्लॉट नं. 490/1, क्षेत्रफल 0.83 हेक्टेयर सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अधिग्रहित किया गया है एवं शेष भूमि मेसर्स आर.आर. इस्पात के नाम पर है।

7. **रॉ–मटेरियल** –

Raw Material & finished products of the Rolling mill and SMS		
Name of Raw Material	**Quantity (TPA)**	**Mode Transport**
Sponge Iron	2,68,000	By Road
Scrap	31,850	
Flux	2,450	
Silico Manganese (Ferro)	2,450	
Billets	3,19,050 (for cold rolled 2,12,700 and for hot rolled 1,06,350)	
Coal for Gasifier	15,558 (cold rolled)	

8. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

- वर्तमान में स्थापित कोल गैसीफॉयर आधारित रोलिंग मिल द्वारा कुल क्षमता 2,14,000 टन प्रतिवर्ष से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत कोल गैसीफॉयर आधारित रोलिंग मिल की क्षमता 2,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं 1,00,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता की रोलिंग मिल को हॉट चार्ज्ड सिस्टम से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन वर्तमान में स्थापित रोलिंग मिल की स्पीड 50 मीटर/सेकण्ड से 75 मीटर/सेकण्ड में वृद्धि कर किया जाना प्रस्तावित है।

- प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु स्टील मेल्टिंग शॉप के तहत् इंडक्शन फर्नेसेस (6 गुणा 15 टन) विथ एल.आर.एफ. (30 टन) क्षमता–2,45,000 टन प्रतिवर्ष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इंडक्शन फर्नेसेस से प्राप्त हॉट मेटल को हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल में उपयोग कर 1,00,000 टन प्रतिवर्ष री–रोल्ड प्रोडक्ट्स एवं शेष से बिलेट/इंगाट्स का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में स्थापित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु हीट रिकुपरेटर एवं साइक्लोन वॉटर स्क्रबर तथा 44 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि नहीं किया जाना प्रस्तावित है। स्टील मेल्टिंग शॉप में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन हेतु भी अपनाई जाएगी।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में रोलिंग मिल से मिल स्केल/एण्ड कटिंग – 4,365 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर से ऐश – 6,848 टन प्रतिवर्ष एवं टार – 736 किलोग्राम प्रतिमाह ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। क्षमता विस्तार उपरांत बेकवर्ड इंटीग्रेशन के तहत् रोलिंग मिल से मिल स्केल/एण्ड कटिंग – 6,350 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर से ऐश–6,400 टन प्रतिवर्ष एवं टार – 736 किलोग्राम प्रतिमाह तथा इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 56,350 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को प्रस्तावित स्टील मेल्टिंग शॉप में उपयोग किया जाएगा। ऐश को समीपस्थ ब्रिक्स प्लांट्स को विक्रय किया जाएगा। टॉर को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाएगा। स्लेग से मेटल रिकव्हर कर स्टील मेल्टिंग शॉप में एवं शेष को लैण्ड फिलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में रोलिंग मिल परियोजना हेतु कुल 50 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 650 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाएगा। औद्योगिक प्रक्रिया हेतु रोलिंग मिल में कुल 70 घनमीटर प्रतिदिन एवं स्टील मेल्टिंग शॉप में 576 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 4 घनमीटर का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपचारित जल को डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में 1 घनमीटर प्रतिदिन घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तृत विवरण फ्लोचार्ट सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

(स) उद्योग द्वारा 40 घनमीटर/दिन ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अनुमति दिनांक 26/04/2018 द्वारा प्राप्त किया गया है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 37,915 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज वेल का निर्माण किया जाएगा। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

12. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल परियोजना हेतु 4.5 मेगॉवाट एवं स्टील मेल्टिंग शॉप परियोजना हेतु 36.5 मेगॉवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल का 1.628 हेक्टेयर (लगभग 30 प्रतिशत) में वृक्षारोपण 2,500 नग वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य मानसून तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा दिये गये चयनित भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र (जिसमें से उद्योग परिसर के भीतर कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्र) में सघन वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 02/01/2019 से 26/03/2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 4 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18 से 38.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 55.8 से 79.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 5.4 से 9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{(x)}$ 14.8 से 24.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरुप है।

   iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

   iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 54.5 डीबीए से 63.1 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 52.5 डीबीए से 62.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 05/03/2020 प्रातः 11:00 बजे स्थान परियोजना स्थल उरला इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन के सभाकक्ष, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, जिला-रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/06/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. सी.एस.आर. के तहत् नगर निगम क्षेत्र, बीरगांव में विकास कार्य नही किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण कार्य, प्रदूषित जल के उपचार हेतु उचित व्यवस्था, वायु प्रदूषण नियंत्रण आदि की व्यवस्था नहीं है।

ii. प्रदूषण के कारण लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे है। तालाब प्रदूषित हो रहे है। नगर निगम क्षेत्र का पानी प्रदूषित हो रही है। फिल्टर प्लांट मे भी पानी की सफाई नहीं हो रही है।

iii. ई.एस.पी. दिन में कार्यरत एवं रात में बंद रहता है।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. सी.एस.आर. मद के अंतर्गत उद्योग द्वारा जल प्रबंधन के संबंध में तालाब एवं वॉटर शेड बनाकर जल की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना एवं मानवीय मूल्यों का ध्यान रखा जाएगा।

ii. गांव के विकास के लिए कमिटी बनाई जाएगी, जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधियों तथा पर्यावरण विभाग के अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा। प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाएगी।

iii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाये जायेंगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. संशोधित ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये (सेक्शन में विभाजित कर) वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल (उपरोक्त विवरण अनुसार) प्रस्तुत किया जाए। सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा दी गई भूमि में प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

2. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं ई.टी.पी. की विस्तृत जानकारी प्रोसेस फ्लोचार्ट सहित प्रस्तुत की जाए।

3. जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन एवं लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही (in hindi tabular form) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

6. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर प्रदूषकों (पार्टिकुलेट मैटर एवं एसओ$_2$) के उत्सर्जन की मात्रा का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

7. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित प्रस्तुत की जाए।

8. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव (कुल लागत का 2 प्रतिशत) पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदिमुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स श्री जितेन्द्र बंदाकर (कंदई डोलोमाईट माईन) को खसरा क्रमांक 307, 308 एवं 310, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम–कंदई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन – 3,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 3,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

7. किसी विमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर

इसका सतत् संधारण /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby Government Primary school, Village-Kandai	
			Rain Water	0.60

			Harvesting System	
			Plantation with fencing	0.10
			Total	**0.70**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,200 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वैट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

23. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

26. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

28. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981,

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स देवरी ब्रिक (अर्थ क्ले) माईन (प्रो.– श्री रमेश कुमार साहू) को खसरा क्रमांक 866/1 एवं 1877, ग्राम–देवरी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्र 2.108 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 20,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.108 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 20,00,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स बिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।
11. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण मे किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज

का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Government Primary & Middle Schools, **Village-Devari**	
			Rain Water Harvesting System	0.75
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation with Fencing	0.10
			Total	**1.00**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 600 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 500 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

20. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

24. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

25. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

26. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

27. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय

कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.